अध्याय–I: सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार (उ0प्र0स0) के राजस्व प्राप्तियों के रूझान, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया आदि का एक विहंगावलोकन प्रदर्शित करता है।

1.2 प्राप्तियों का रुझान

1.2.1 वर्ष 2019–20 के दौरान उ0प्र0स0 द्वारा उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, राज्य को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश, भारत सरकार (भा0स0) से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **सारणी–1.1** में दर्शाये गये हैं।

सारणी–1.1
राजस्व प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
1	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	81,106.26	85,965.92	97,393.00	1,20,121.86	1,22,825.83
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**9.35**	**5.99**	**13.29**	**23.34**	**2.25**
	• करेतर राजस्व	23,134.65	28,944.07	19,794.86	30,100.71	81,705.08
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**16.05**	**25.11**	**(–)31.60**	**52.06**	**171.44**
	योग	**1,04,240.91**	**1,14,909.99**	**1,17,187.86**	**1,50,222.57**	**2,04,530.91**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	90,973.69	1,09,428.29	1,20,939.14	1,36,766.46	1,17,818.30[1]
	• सहायता अनुदान	31,861.34	32,536.87	40,648.45	42,988.48	44,043.97[2]
	योग	**1,22,835.03**	**1,41,965.16**	**1,61,587.59**	**1,79,754.94**	**1,61,862.27**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**2,27,075.94**	**2,56,875.15**	**2,78,775.45**	**3,29,977.51**	**3,66,393.18**
4	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**46**	**45**	**42**	**46**	**56**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

ऊपर की सारणी यह इंगित करती है कि 2015–20 की अवधि के दौरान कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की औसतन वार्षिक वृद्धि क्रमशः 10.84 प्रतिशत एवं 46.61 प्रतिशत रही थी।

वर्ष 2019–20 में राज्य की राजस्व प्राप्तियों के अलग–अलग विवरण को प्रतिशतता के रूप में **चार्ट–1.1** में प्रदर्शित किया गया है।

---

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2019–20 के वित्त लेखों में लघु शीर्षो द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–14 देखें। इस विवरण में वित्त लेखों में 'अ–कर राजस्व' के अन्तर्गत मुख्य लेखा शीर्ष–0005–केद्रीय माल एवं सेवा कर, 0008–एकीकृत माल एवं सेवा कर, 0020–निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032–धन पर कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, लघु शीर्ष–901–राज्यों के समुदेशित शुद्ध प्राप्तियों के हिस्सों के आँकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा 'विभाज्य संघीय करों एवं शुल्क में राज्य के हिस्से' में शामिल किया गया है।

[2] माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिये ₹ 5,179.52 करोड की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है।

चार्ट–1.1

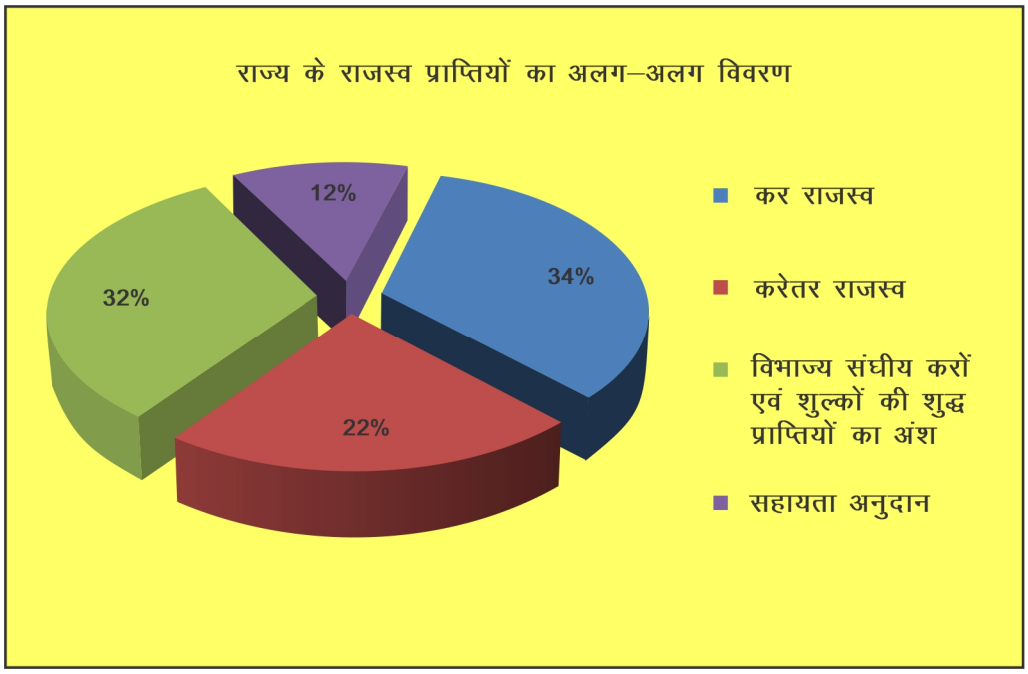

1.2.2 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान उगाहे गये कर राजस्व के विवरण **सारणी–1.2** में दिये गये हैं।

सारणी–1.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	की तुलना में वर्ष 2019–20 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2019–20 के ब0अ0	2018–19 के वास्तविक
1	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	52,670.69 47,692.40	57,940.30 51,882.88	36,397.30 31,112.52	22,078.00 23,797.84	24,660.00 20,517.13	(–) 16.80	(–) 13.79
	राज्य माल एवं सेवा कर (रा0मा0से0क0)			28,602.70 25,373.96	49,422.00 46,108.03	52,980.10 47,232.41	(–) 10.85	(+) 2.44
2	राज्य आबकारी	17,500.00 14,083.54	19,250.00 14,273.49	20,593.23 17,320.27	23,000.00 23,926.66	31,517.41 27,324.76	(–) 13.30	(+) 14.20
3	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	14,836.00 12,403.72	16,319.60 11,564.02	17,458.34 13,397.57	18,000.00 15,733.03	19,179.07 16,069.80	(–) 16.21	(+) 2.14
4	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	4,658.00 4,410.53	5,123.80 5,148.37	5,481.20 6,403.69	7,400.00 6,930.02	7,863.42 7,714.88	(–) 1.89	(+) 11.33
5	अन्य[3]	2,250.31 2,516.07	2,622.80 3,097.16	2,969.13 3,784.99	2,800.00 3,626.28	3,976.00 3,966.85	(–) 0.23	(+) 9.39
योग		**91,915.00** **81,106.26**	**1,01,256.50** **85,965.92**	**1,11,501.90** **97,393.00**	**1,22,700.00** **1,20,121.86**	**1,40,176.00** **1,22,825.83**	**(–) 12.38**	**(+) 2.25**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विवरण के अनुसार बजट अनुमान।

[3] निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैं: विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, होटल प्राप्ति कर, वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क आदि।

वर्ष 2019–20 में कर राजस्व के अलग–अलग विवरण को **चार्ट–1.2** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट–1.2

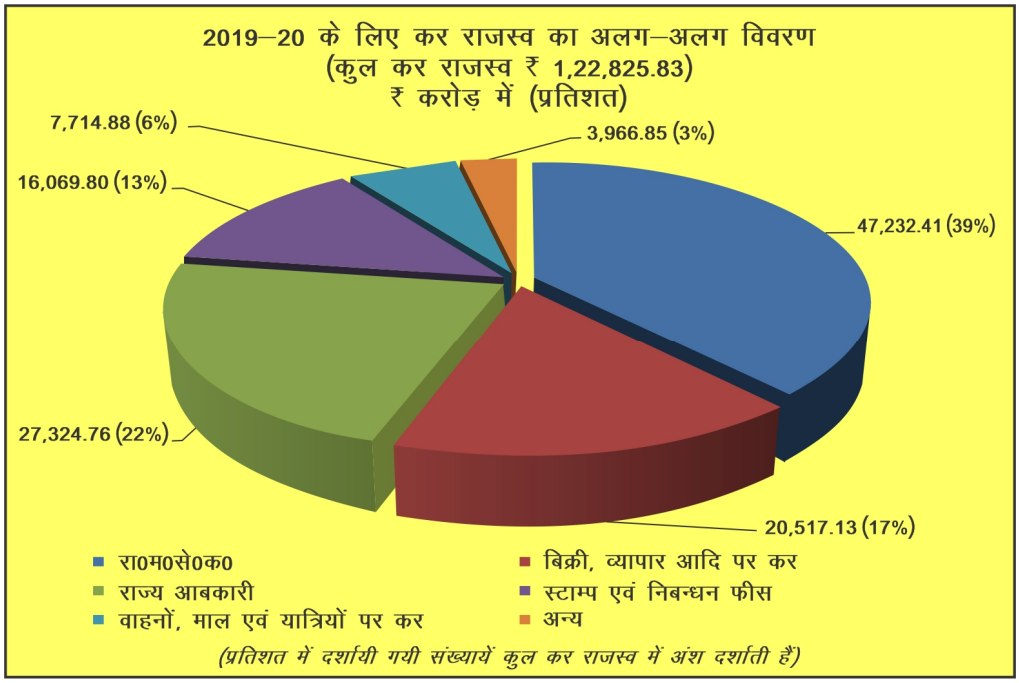

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2019–20 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है :

- वर्ष 2019–20 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में कुल 2.25 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः 'राज्य आबकारी' (₹ 3,398.10 करोड़ द्वारा), 'राज्य माल एवं सेवा कर (रा0.मा.से.क.)' (₹ 1,124.38 करोड़ द्वारा), 'स्टाम्प एवं निबन्धन फीस' (₹ 336.77 करोड़ द्वारा) तथा 'वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर' (₹ 784.86 करोड़ द्वारा) के कारण थी।

- बिक्री, व्यापार, आदि पर कर में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 3,280.71 करोड़ की कमी हुई। बिक्री, व्यापार, आदि पर कर के तहत कम राजस्व, मूल्य सवंर्धित कर (विगत वर्ष से ₹ 3,095.30 करोड़ कम) और बिक्री कर (विगत वर्ष से ₹ 147.44 करोड़ कम) से कम प्राप्तियों और बढ़ी हुई वापसी के कारण था।

- वर्ष 2019–20 के दौरान रा.मा.से.क. संग्रह में ₹ 1,124.38 करोड़ की वृद्धि हुई। रा0.मा.से.क. संग्रह में वृद्धि का मुख्य कारण कर शीर्ष के अंर्तगत प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 6,570.40 करोड़), रा.मा.से.क. और एकीकृत मा.से.क. के इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रास उपयोग (₹ 4,212.59 करोड़), एकीकृत मा.से.क. का विभाजन (₹ 633.96 करोड़) एवं ए.मा.से.क. के लिए अग्रिम विभाजन के लिए कम प्राप्तियाँ (₹ 5,763.53 करोड़) तथा अन्य लघु शीर्षों में अंतरण की प्रतीक्षा में प्राप्तियाँ (₹ 4,597.88 करोड़) था।

- राज्य आबकारी' में वृद्धि देशी आसव (₹ 1,471.22 करोड़), माल्ट मदिरा (₹ 483.32 करोड़) एवं विदेशी मदिरा तथा आसव (₹ 1,459.96 करोड़) की बिक्री से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई।

- 'स्टाम्प एवं निबन्धन फीस' के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः न्यायिकेतर स्टाम्प की अधिक बिक्री (₹ 651.65 करोड़) तथा अन्य प्राप्तियों में कमी (₹ 311.42 करोड़) के कारण हुई।
- 'वाहनों पर कर' की प्राप्तियाँ मुख्य रूप से राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम (₹ 1,027.83 करोड़) के तहत अधिक प्राप्तियों एवं भारतीय मोटर वाहन अधिनियम (₹ 239.29 करोड़) के तहत कम प्राप्तियों के शुद्ध प्रभाव के कारण बढ़ी थी।
- 'विद्युत पर कर एवं शुल्क' की प्राप्तियों में वृद्धि (वर्ष 2018–19 में ₹ 2,978.22 करोड़ से वर्ष 2019–20 में ₹ 3,452.50 करोड़) विद्युत की बिक्री एवं उपभोग पर अधिक कर संग्रहण (₹ 522.89 करोड़) के कारण हुई।

1.2.3 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान उगाहे गये करेतर राजस्व के विवरण **सारणी–1.3** में दर्शाये गये हैं।

सारणी–1.3
करेतर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	की तुलना में वर्ष 2019–20 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2019–20 के ब0अ0	2018–19 के वास्तविक
1	विविध सामान्य सेवायें	4,774.00 4,949.22	4,220.61 4,460.40	4,502.00 4,841.11	12,758.33 13,677.57	14,051.00 72,043.54	(+) 412.73	(+) 426.73
2	ब्याज प्राप्तियाँ	1,000.00 632.78	750.00 1,164.94	800.00 1,093.38	843.60 1,712.44	1,200.00 1,469.44	(+) 22.45	(–) 14.19
3	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	1,500.00 1,222.17	1,650.00 1,548.39	3,200.00 3,258.88	4,000.00 3,165.44	4,400.00 2,180.93	(–) 50.43	(–) 31.10
4	बिजली	2,700.00 1,322.17	2,700.00 2,938.85	4,448.34 4,695.85	5,700.00 5,735.40	4,175.00 1,044.14	(–) 74.99	(–) 81.79
5	अन्य करेतर प्राप्तियाँ[4]	11,662.32 15,008.31	10,959.24 18,831.49	5,486.37 5,905.64	5,519.73 5,809.86	6,806.96 4,967.03	(–) 27.03	(–) 14.51
योग		**21,636.32** **23,134.65**	**24,240.85** **28,944.07**	**18,436.71** **19,794.86**	**28,821.66** **30,100.71**	**30,632.96** **81,705.08**	**(+) 166.72**	**(+) 171.44**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विस्तृत विवरण बजट अनुमान के अनुसार।

[4] अन्य में निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (करेतर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैः आवास, लोक निर्माण, लेखन सामग्री एवं मुद्रण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, सड़क एवं सेतु, अन्य प्रशासनिक सेवायें, मध्यम सिंचाई, ग्राम्य एवं लघु उद्योग, वानिकी एवं वन्य प्राणि, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, शहरी विकास, आदि।

वर्ष 2019–20 में करेतर राजस्व का अलग–अलग विवरण **चार्ट–1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट–1.3

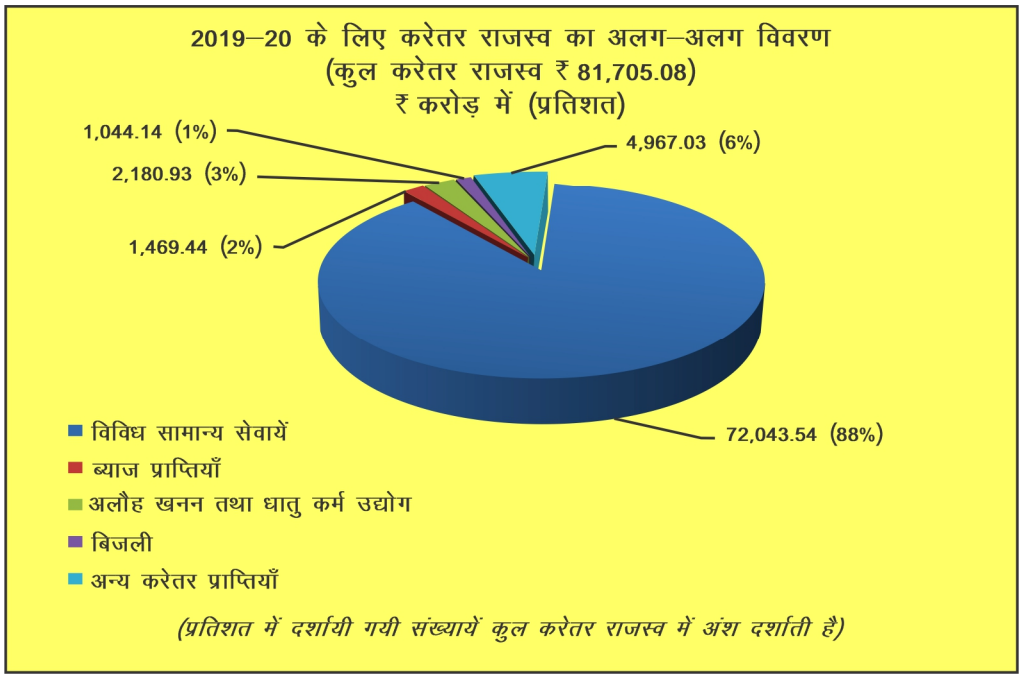

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2019–20 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- वर्ष 2018–19 के सापेक्ष वर्ष 2019–20 के दौरान करेतर प्राप्तियों मे कुल मिलाकर ₹ 51,604.37 करोड़ की वृद्धि हुई (171.44 प्रतिशत), मुख्यतः 'विविध सामान्य सेवायें' शीर्ष के अन्तर्गत मुख्य रूप से वर्ष 2019–20 के दौरान लोक लेखा के अंर्तगत सिंकिंग फण्ड से समेकित निधि के राजस्व प्राप्तियों में ₹ 71,180.23 करोड़ के अंतरण के कारण था।

  उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना (17 मार्च 2020) के अनुसार, मार्च 2020 के अंत में मौजूद सिंकिंग फण्ड के तहत बकाया राशि को नव निर्मित समेकित सिंकिंग फण्ड में अंतरित किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने लोक लेखा के अर्न्तगत मौजूद सिंकिंग फण्ड की सम्पूर्ण शेष राशि ₹ 71,180.23 करोड़ को राज्य सरकार के करेतर प्राप्तियों के रूप में स्थानांतरित (30 मार्च 2020) किया। ₹ 71,180.23 करोड़ का यह अंतरण एक बही समायोजन था और इस लेनदेन से राज्य सरकार को कोई नकद प्राप्त नहीं हुआ था। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस मुद्दे पर लेखापरीक्षा अवलोकन का विस्तृत विवरण दिया गया है।

  प्रभावी रूप से, वर्ष 2019–20 के दौरान करेतर राजस्व के रूप में प्राप्तियां ₹ 10,525 करोड़ (सिंकिंग फण्ड के बही शेष के अंतरण को छोड़कर) थी, जोकि पिछले वर्ष यानी 2018–19 के करेतर राजस्व से 40 प्रतिशत कम थी। अग्रेतर, राज्य की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां, सिंकिंग फण्ड के बही शेष के हस्तांतरण को छोड़कर, ₹ 2,95,213 करोड़ पर आ गई और इस प्रकार राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति की वास्तविक वृद्धि दर वर्ष 2019–20 के दौरान (–) 6.96 प्रतिशत वर्ष 2018–19 की तुलना में थी।

- वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान 'ब्याज प्राप्तियों' में कमी ₹ 492.41 करोड़[5] के नकद शेष निवेश खाते के तहत कम प्राप्तियों के कारण थी।
- 'अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग' में कमी खनिज रियायत शुल्क, किराये, रॉयल्टी और अन्य प्राप्तियों (₹ 457.81 करोड़) से कम प्राप्तियों (₹ 476.15 करोड़) के कारण थी। अग्रेतर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मोर्रम/बालू के खनन पट्टों की 54 पर्यावरण मंजूरी को रद्द/प्रतिबंधित करने से सरकारी राजस्व प्रवाह प्रभावित हुआ।
- राजस्व लेखा शीर्ष 'बिजली' के अन्तर्गत 81.79 प्रतिशत की कमी ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को शेयर पूँजी के लिये भारत सरकार से कम प्राप्तियों (₹ 4,691.25 करोड़) के कारण था।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व के विभिन्न लेखा शीर्ष के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता पायी (सन्दर्भ सारणी–1.2 एवं 1.3) जो इंगित करता है कि बजट अनुमानों को यथार्थ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

संस्तुतिः

वित्त विभाग को अपने बजट अनुमानों को और अधिक यथार्थवादी बनाने हेतु अपनी बजट तैयार करने की विधियों का पुनरीक्षण करना चाहिये।

1.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन–सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले0प0प्र0) में चर्चित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, चाहे ऐसे मामले लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हों या न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। लो0ले0स0 द्वारा वर्ष 31 मार्च 2015 से 31 मार्च 2018 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं की गई। इसके अलावा, वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 (मदिरा के उत्पादन और बिक्री के मूल्य निर्धारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य आबकारी)) एवं 2017–18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिये कोई व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई (जनवरी 2021) जिन्हें मार्च 2016 और फरवरी 2020 के मध्य राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा गया। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण **सारणी–1.4** में दिया गया है।

सारणी–1.4

क्र0 सं0	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समाप्ति वर्ष	विधान मण्डल में प्रस्तुत होने की तिथि	प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2015	06 मार्च 2016	31	00	31
2	31 मार्च 2016	18 मई 2017	26	00	26
3	31 मार्च 2017	19 जुलाई 2019	15	00	15
4	31 मार्च 2018 (अकेले, राज्य आबकारी)	19 जुलाई 2019	08	00	08
5	31 मार्च 2018	24 फरवरी 2020	17	00	17
6	31 मार्च 2019	18 अगस्त 2021	23	देय नहीं	
योग			**120**	**00**	**97**[6]

[5] ₹ 1,088.56 करोड़ (2018–19)- ₹ 596.15 करोड़ (2019–20)।

[6] वाणिज्य कर (24 प्रस्तरों), राज्य आबकारी (22 प्रस्तरों), परिवहन (19 प्रस्तरों), स्टाम्प एवं निबन्धन (11 प्रस्तरों), भूतत्व एवं खनिकर्म (18 प्रस्तरों) तथा मनोरंजन कर (03 प्रस्तरों)।

वर्ष 2019–20 में, लो0ले0स0 द्वारा वर्ष 2001–02 से 2008–09 एवं 2011–12 तथा 2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 51[7] चयनित प्रस्तरों पर चर्चा की गई। तथापि, इन प्रस्तरों से सम्बन्धित कार्यवाही आख्या (का0आ0) सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं हुई है (जून 2021)।

1.4 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

शासन/विभागों एवं कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, लेखापरीक्षा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को, उनके उच्च अधिकारियों को एक प्रति के साथ सुधारात्मक कार्यवाही एवं उनकी निगरानी करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन (नि0प्र0) निर्गत करता है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार के संज्ञान में लायी जाती हैं।

मार्च 2020 तक जारी नि0प्र0 की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि जून 2020 के अन्त तक 12,627 नि0प्र0 से सम्बन्धित 45,399 प्रस्तर लम्बित थे। इन नि0प्र0 में प्रकाश में लाया गया प्रभावी वसूली योग्य राजस्व ₹ 11,035.10 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित विभागवार विवरण **सारणी–1.5** में दिया गया है।

सारणी–1.5
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित नि0प्र0 की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	सन्निहित धनराशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	5,961	26,146	4,251.12
		मनोरंजन कर	206	490	467.06
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी	1,025	2,173	1,309.87
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,390	6,325	2,309.73
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	3,776	8,896	793.69
5	भूतत्व एवं खनिकर्म	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	269	1,369	1,903.63
योग			**12,627**	**45,399**	**11,035.10**

यहाँ तक कि, नि0प्र0 प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त होने वाले अपेक्षित प्रथम उत्तर, समय से प्राप्त नहीं हुए। वर्ष 2019–20 के दौरान जारी किये गये 207 नि0प्र0 में से, लेखापरीक्षा को कार्यालयाध्यक्षों से तीन नि0प्र0 के मामले में प्रथम उत्तर छः माह के अन्दर तथा सात नि0प्र0 के मामले में छः माह के बाद प्राप्त हुआ। वर्ष 2019–20 के दौरान निर्गत शेष 197 नि0प्र0 के मामले में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। नि0प्र0 का इतनी बड़ी संख्या में लम्बित होना एवं विभागों से प्रथम उत्तर प्राप्त न होना इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निरीक्षित इकाईयों के प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष का संज्ञान लेने एवं इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम उठाने में असफल रहे हैं। समान प्रकृति की अनियमिततायें वर्ष प्रतिवर्ष प्रतिवेदित की जा रही हैं फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रगति/किसी सुधारात्मक कार्यवाही के कोई साक्ष्य जमीनी स्तर पर दृष्टव्य नहीं हैं। इसने लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र आरम्भ करना चाहिए कि विभागीय अधिकारी नि0प्र0 पर त्वरित प्रतिक्रिया दें, सुधारात्मक कार्यवाही करें।

[7] वाणिज्य कर (22 प्रस्तरों), चिकित्सा (02 प्रस्तरों), राज्य आबकारी (06 प्रस्तरों), भू–राजस्व (05 प्रस्तरों), ऊर्जा विभाग (01 प्रस्तर), औद्योगिक विकास विभाग (04 प्रस्तरों), गन्ना विभाग (01 प्रस्तर), वित विभाग (02 प्रस्तरों), ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवाएं (01 प्रस्तर), लोक निर्माण विभाग (06 प्रस्तरों), तथा मनोरंजन कर (01 प्रस्तर)।

1.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2019–20 के दौरान लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के पाँच विभागों[8] को समाविष्ट किया तथा बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस एवं खनन प्राप्तियों से सम्बन्धित 1,556 लेखापरीक्षण योग्य इकाईयों में से 234 (15 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। वर्ष 2018–19 के दौरान इन पाँच विभागों में ₹ 1,19,747.24 करोड़ राजस्व संग्रहीत किया गया, जिसमें से 234 लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 23,580.22[9] करोड़ संग्रहीत किया। 234 लेखापरीक्षित इकाईयों में, टर्नओवर/कर भुगतान के आधार पर अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी जिससे 1,00,026 मामलों (3,56,284 नमूना जाँच किये गये मामलों में से) में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि से सम्बन्धित कुल ₹ 983.54 करोड़ के मामले पाये गये जिन्हें नि0प्र0 द्वारा विभागों को प्रतिवेदित किया गया था।

सम्बन्धित विभागों ने 497 मामलों में (पिछले वर्षों में बताये गये मामलें शामिल) ₹ 82.62 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2019 एवं जून 2021 के मध्य) और 300 मामलों में ₹ 9.41 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित किया।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को एक तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एवं विभागों द्वारा स्वीकृत सभी अवनिर्धारण/कम आरोपण की वसूली विभागों द्वारा की जाए।

1.6 प्रतिवेदन के इस भाग का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा एवं विगत वर्षों के ऐसे प्रस्तर जो पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, के 18 प्रस्तर शामिल हैं, जिनमें ₹ 502.08 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

वाणिज्य कर विभाग ने ₹ 19.01 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा ₹ 47.79 लाख की वसूली की है। अन्य विभागों के उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (जुलाई 2021)। इसकी चर्चा अनुवर्ती अध्यायों–II से V तक में की गयी है।

इंगित की गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। **इसलिए यह जाँच करने के लिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सकने हेतु एक प्रणाली को स्थापित करने के लिए शासन/विभाग सभी इकाईयों का व्यापक पुनरीक्षण कर सकते हैं।**

---

[8] वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।

[9] वाणिज्य कर विभाग मा0से0क0 लागू होने के पश्चात इकाईवार राजस्व संग्रह लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करा सका और इसलिए इस धनराशि में विभाग की लेखापरीक्षित इकाईयों का राजस्व सम्मिलित नहीं है।